राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(7)वित्त/नियम/2024 जयपुर, दिनांक : 20 NOV 2024

आदेश

विषय :— Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 में सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने एवं उन पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी की गई एस.ओ.पी. एवं प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों के क्रम में नियमों में शिथिलता प्रदान करने हेतु।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.17(4)कार्मिक/क–2/2014 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 लागू किये गये हैं। उक्त नियमों के नियम 20 में इन नियमों के अन्तर्गत सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिये जाने पर संविदा कार्मिकों की उक्त नियमित पदों पर स्क्रीनिंग द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। इन नियमों में सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कराने एवं उन पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश (एस.ओ.पी.) एवं समय तालिका समसंख्यक अशा. टीप दिनांक 25.10.2024 द्वारा जारी किये गये हैं।

Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के नियम 20 के तहत संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर ऐसे पदों के विरूद्ध इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग (Screening) कर नियुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित सेवा नियमों में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है :—

1. जिन संविदा कार्मिकों की पूर्व में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुये नियुक्ति प्रदान की गई थी, उन कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु संम्बन्धित सेवा नियमों में वर्णित ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।
2. जिन विद्यमान कार्मिकों की Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के नियम 9(2) के प्रावधानों में दिनांक 01.06.2002 और उसके पश्चात दो से अधिक संतान पैदा होने पर नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति प्रदान की गई थी उन

D:\Anila\All Work\Modani Sir\Letter.docx

कार्मिकों की नियमित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु संतानों की संख्या में शिथिलता प्रदान की जाती है।

3. जिन संविदा कार्मिकों की Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के नियम 10 के प्रावधानों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की गई थी उन संविदा कार्मिकों को उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शिथिलता प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार नियमों में शिथिलता माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया से पत्रावली पर प्राप्त अनुमोदन आई डी संख्या 212400913 दिनांक 18.11.2024 के क्रम में प्रदान की गई है।

20/11/24

(देबाशीष पृष्टि)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, अल्प संख्यक मामलात विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5. शासन सचिव, वित्त(व्यय) विभाग
6. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
7. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
8. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग
9. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
10. शासन सचिव, शांति एवं अहिंसा विभाग
11. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग
12. शासन सचिव, कार्मिक विभाग
13. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह।
14. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग

20/11/24

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव –I

D:\Anila\All Work\Modani Sir\Letter.docx